आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......64....../17–18

राज्य बनाम 1. टी0भी0एस0 मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43J-3271

2. हीरो स्पेलेन्डर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– (चेचिस नं0–02A20F50128)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
18.4.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सौरबाजार (पुलिस शिविर पस्तपार) कांड संख्या–502/17 दिनांक–03.11.17 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत जब्त वाहन जब्त वाहन टी0भी0एस0 मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43J-3271 एवं हीरो स्पेलेन्डर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– (चेचिस नं0–02A20F50128) को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। हीरो स्पेलेन्डर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– (चेचिस नं0–02A20F50128) के मालिक की ओर से कोई कारणपृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सौरबाजार (पुलिस शिविर पस्तपार) थाना कांड संख्या–502/17 दिनांक–03.11.17 को काण्ड के वादी पु0अ0नि0 रवीन्द्र हाजिन पु0स0 प्रभारी पस्तपार के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी को नामजद अभि0 बबलू यादव, पिता–दिलीप यादव 2. दिलीप यादव पे0 स्व0 जप्तनाथ यादव, दोनों सा0 ढ़ांठी 3. कपिल यादव पे0 स्व0 शीतल यादव सा0 सखुआ थाना–सौरबाजार जिला–सहरसा के विरूद्ध अंकित किया गया। पस्तपार बाजार के पक्की सड़क पर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43J-3271 पर प्लास्टिक का बोरा में रखकर बिक्री कर रहे थे। देशी महुआ शराब एवं मोटर साईकिल सहित बरामद किया गया है। प्रा0 अभि0 बबलू यादव, दिलीप यादव मोटर साईकिल टी0भी0एस0	

18.4.18

जिसका रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43J-3271 को छोड़ भाग लिकले तथा प्रा0 अभि0 3. कपिल यादव पे0 स्व0 शीतल यादव के नशे के हालत में पकड़ा गया तथा जले भेजा गया है। जमानत पर न्यायालय से मुक्त है। जप्ती सूची के अनुसार देशी महुआ शराब तथा मोटर साईकिल पुलिस शिविर पस्तपार लाया गया तथा सुरक्षित के रूप प्रागण में रखा गया। कांड अनुसंधान अन्तर्गत है। उक्त विदेशी शराब और जब्त वाहन को जप्त कर अभियोग दर्ज किया गया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध देशी महुआ शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षीगण की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि टी0भी0 एस0 मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43J-3271 नाम बबलू कुमार पिता दिलीप यादव ग्राम ठरही पस्तपार थाना सौरबाजार पुलिस केम्प, जिला सहरसा है। उपरोक्त मोटर साईकिल का मालिक है जो कि उसने वर्ष 2016 में खरीदा है जिसका रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43J-3271 है। 03.11.2017 को आवेदक पटना में था वह एक छात्र है जो पटना में रहकर कम्पीटीशन की तैयारी करता है वह कथिततौर मोटर साईकिल की घटना से अनभिज्ञ था इस लिए वह इसका किसी तरह जबाबदेही नहीं रख सका। आवेदक ने मोटर साईकिल से संबंधित सभी कागजात पाया है। मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43J-3271 उसका ऑनर बुक वन टाइम टैक्स पेड जो कि 04.01.2032 तक है। इसका फीटनेस प्रमाण पत्र 05.01.2032 तक है तथा इन्शयूरेन्स नेशनल इन्शयुरेन्स कम्पनी का है। मोटर साईकिल खरीद के तुरन्त बाद पटना गया इसलिए वह ड्राईभिग लाईसेंस हेतु आवेदन नहीं भरा जिसको कि उसने 15.01.2018 को आवेदन भरा है। इस तरह ओवदक मोटर साईकिल का सही मालिक है। आवेदक से कारणपृच्छा आवेदन मांगा गया है। अतः कारणपृच्छा स्वीकार किया जाय और उक्त मोटर साईकिल को मुक्त किया जाय।

लेकिन इनके द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट हो कि इनके वाहन से अवैध शराब का परिवहन नहीं किया गया उक्त वाहन से देशी महुआ शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त वाहन अवैध कारोवार में संलिप्त है तथा विपक्षी को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। हीरो स्पेलेन्डर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–

	(चेचिस नं0–02A20F50128) के मालिक की ओर से कोई कारणपृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। अतः वाहन मालिक के विरूद्ध सूचना का तामिला है जिक्र अखबार के माध्यम से प्रकाशित करें तथा उसके बाबजूद यदि वाहन माकिल के द्वारा कोई रूचि नहीं ली जाती है तो उनके विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई की जाएगी। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः जब्त वाहन जब्त वाहन टी0भी0एस0 मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43J-3271 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें। हीरो स्पेलेन्डर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– (चेचिस नं0–02A20F50128) के वाहन मालिक को कारणपृच्छा के लिए दिनांक......4.5.18......को अभिलेख उपस्थापित करें। 18.4.18 समाहर्त्ता, सहरसा। 18.4.18 समाहर्त्ता, सहरसा।	

ज्ञापांक......94-2....../न्याया0,

सहरसा, दिनांक 26.04.018

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा/अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
21.04.018 जिला विधि शाखा, सहरसा।